

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 179/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

गजा वगैरा बनाम बलवंत सिंह वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील - श्री नरेश भादू

निर्णय

दिनांक - 08.06.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प कापराउ में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा चमनपुरा, पटवार क्षेत्र कापराउ, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 44 रकबा 72.06 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा चमनपुरा, पटवार क्षेत्र कापराउ, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 44 रकबा 72.06 बीघा में भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे का त में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।


कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसराओं की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प कापराउ में

सुनाया गया।




(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1383

दिनांक 15.6.18

प्रार्थीगण :-

1. गजा उर्फ गजेसिंह पुत्र धारा उर्फ धारसिंह
2. भैरा उर्फ भैरसिंह पुत्र गेमरा उर्फ गेमरसिंह
3. नारणा उर्फ राणसिंह पुत्र उमेरा उर्फ गेमरसिंह जाति दरोगा निवासी चमनपुरा, कापराउ तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

- 1 बालसिंह पुत्र चिमनसिंह
- 2 पबसिंह पुत्र चिमसिंह
- 3 खीमसिंह पुत्र रूपसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी चिमनपुरा, कापराउ
- 4 लाधूराम पुत्र सुमराराम
- 5 सगताराम पुत्र साजूराम
- 6 किसनसिंह पुत्र सगतसिंह
- 7 चेतनसिंह पुत्र पन्ने सिंह
- 8 खेतसिंह पुत्र जवारसिंह
- 9 करणसिंह पुत्र जवारसिंह
- 10 भूरसिंह पुत्र मथर सिंह
- 11 चतरसिंह पुत्र हरीसिंह उर्फ हरदास
- 12 रमे सिंह पुत्र हरीसिंह
- 13 सतीदानसिंह पुत्र मथरसिंह
- 14 डूंगरसिंह पुत्र मथरसिंह
- 15 सुजानसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासीयान चिमनपुरा कापराउ तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 179/2017

दिनांक : 08.06.2018

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कापराऊ मौजा चमनपुरा के खेत खसरा नंबर 44 रकबा 72.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

मौका कमिश्नर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कक्षाधीन हों। प्रार्थी कमिश्नर को कमिश्नर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/ 1384+ 1385
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण गजा उर्फ गजेसिंह वगेरा
3. विप्रार्थीगण बालसिंह वगेरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/सेड्वा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 15.6.18

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन